

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड  
कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता(वा0)

कमरा नं0 229, विद्युत भवन, ज्योतिनगर, जयपुर-302005  
फोन नं0 - 0141-2747041, फैक्स नं0 - 0141-2744803

ईमेल - se\_comml@yahoo.in

क0 जेपीडी/अधी.अ. (वा.)/सी-1/एफ. /प्रे0 2975 जयपुर, दिनांक- 31-03-2017

आदेश

विषय :- ग्रामीण क्षेत्र में घरेलु कनेक्शन जारी किये जाने हेतु निर्धारित दर के सम्बन्ध में।

पूर्व में निगम द्वारा जारी आदेश जेपीआर 5-277 दिनांक 23.06.2005 द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलु कनेक्शन जारी किये जाने हेतु निर्धारित दर के सम्बन्ध में निर्देश जारी किये गये थे। प्रायः यह देखा गया है कि क्षेत्राधिकारियों द्वारा आदेश की सही प्रकार से पालना नहीं की जा रही है।

अतः ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलु कनेक्शन जारी किये जाने हेतु ली जाने वाली निर्धारित दर के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्देश पुनः जारी किये जाते हैं:

- (अ). ग्रामीण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र में एवं आबादी क्षेत्र से 300 मीटर की दूरी तक) : निर्धारित दर- रु. 1500/- प्रति कनेक्शन
- (ब). मीटर बॉक्स की कीमत एवं मीटर के प्रति प्रतिभूति राशि : अवसूलनीय

वितरण तन्त्र (Mains)/ 300 मीटर से अधिक आपूर्ति लाइन के विस्तार की आवश्यकता होने पर लाइन के विस्तार हेतु निम्नांकित राशि वसूल की जावेगी :

- सिंगल फेस एल.टी. लाइन हेतु : रु. 100/- प्रति मीटर
- थ्री फेस एल.टी. लाइन हेतु : रु. 150/- प्रति मीटर

सभी संबंधित अधिकारी उपरोक्त दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें।

आज्ञा से

(ए.के. खण्डेलवाल )

मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)